17/3/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी खारिज किया जाता है। डिक्री तदनुसार निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नियम से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[signature]

[illegible] अधिकारी
कोठी ([illegible])

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. अंगूरी देवी बेवा लक्ष्मीचंद आयु 82 वर्ष (फौत)
   1/1 तेज प्रकाश उत्तक पुत्र अंगूरीदेवी बेवा लक्ष्मीचंद
2. विष्णु चंद आयु 53 वर्ष
3. प्रेमचंद आयु 48 वर्ष — पुत्रान स्व. रामदयाल
4. महेशचंद आयु 45 वर्ष
5. श्यामलाल आयु 40 वर्ष — पुत्र फकीरा
6. रमेश चंद पुत्र फकीरा आयु 70 वर्ष
7. सुरेशचंद पुत्र फकीरा आयु 65 वर्ष

सभी जाति महाजन निवासी–भूडारा बाजार, शहर करौली जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

1. द्वारकाप्रसाद पुत्र चैनसुख, महाजन निवासी–गायत्रीनगर करौली
2. आशीष पुत्र प्रवीण कुमार महाजन निवासी–गोमती कॉलोनी करौली
3. माया देवी पत्नि राधेश्याम पुत्री हाबूलाल महाजन, नि0 शिवचरण सिंह के पेट्रोल पंप के सामने करौली
4. अल्पना शर्मा पटनी सत्यनारायण शर्मा, ब्राहमण नि0 चित्रकूट नगर करौली
5. श्रीमति सन्जू अग्रवाल पत्नि मनोज कुमार अग्रवाल, नि0 भूडारा बाजार–करौली
6. कुलदीप कुमार पुत्र प्रकाशचन्द अग्रवाल नि0 भूडारा बाजार करौली
7. नगर पालिका/नगर परिषद करौली जरिये उपयुक्त नगर परिषद् करौली
8. तहसीलदार–तहसील करौली– लैण्ड होल्डर

––प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 188 आर टी एक्ट

मु.नं. 41/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री महेन्द्रपाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री हेमराज सैनी, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी नंबर 2 व 5 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 6917 रकबा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6943 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली का मृतक रामदयाल पुत्र फकीरा के स्थान पर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह खसरा नंबर 6917 रकबा 9 बिस्वा से अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करें एवं वादीगण के कब्जा काश्त बाधा नहीं डालने ना ही किसी अन्य से डलवाये एवं खसरा नंबर 6943 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कस्बा करौली के दक्षिणी हिस्सा 1815/7260 हिस्से नजरी नक्शा वादपत्र बरंगलाल से दिखाया है से वादी नंबर 1 ता 7 को जबरन बेदखल नहीं करे एवं वादीगण को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावे। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.03.2026 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–41/12 तारीख रजु:–16.04.12

उनवान

1. अंगूरी देवी बेवा लख्मीचंद आयु 82 वर्ष (फौत)

   1/1. तेज प्रकाश उत्तक पुत्र अंगूरीदेवी बेवा लक्ष्मीचंद

2. विष्णु चंद आयु 53 वर्ष
3. प्रेमचंद आयु 48 वर्ष — पुत्रान स्व. रामदयाल
4. महेशचंद आयु 45 वर्ष — पुत्र फकीरा
5. श्यामलाल आयु 40 वर्ष
6. रमेश चंद पुत्र फकीरा आयु 70 वर्ष
7. सुरेशचंद पुत्र फकीरा आयु 65 वर्ष

सभी जाति महाजन निवासी–भूडारा बाजार, शहर करौली जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. द्वारकाप्रसाद पुत्र चैनसुख, महाजन निवासी–गायत्रीनगर करौली
2. आशीष पुत्र प्रवीण कुमार महाजन निवासी–गोमती कॉलोनी करोली
3. माया देवी पत्नि राधेश्याम पुत्री हाबूलाल महाजन, नि0 शिवचरण सिंह के पेट्रोल पंप के सामने करौली
4. अल्पना शर्मा पटनी सत्यनारायण शर्मा, ब्राहमण नि0 चित्रकूट नगर करौली
5. श्रीमति सन्जू अग्रवाल पत्नि मनोज कुमार अग्रवाल, नि0 भूडारा बाजार–करौली
6. कुलदीप कुमार पुत्र प्रकाशचन्द अग्रवाल नि0 भूडारा बाजार करौली
7. नगर पालिका/नगर परिषद करौली जरिये उपयुक्त नगर परिषद् करौली
8. तहसीलदार–तहसील करौली– लैण्ड होल्डर

–प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 17/3/16

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि कृषि हाल खसरा नं0 6917 वाके कस्बा करौली तहसील व जिला करौली रकवा 9 विस्वा बारानी–1 जो साविक खसरा नं 5291 के रकवे में से बना है, वादीगण के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त का है जिसमे वादीया नं0 1 हिस्सा 1/4, वादी नं0 2 ता 5 के पिता स्वर्गीय रामदयाल हिस्सा 1/4 एवम वादी नं0 6 हिस्सा 1/4 व वादी नं0 7 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार रहे हैं। और इसी संयुक्त हिस्से अनुसार इनका संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कब्जा रहता चला आ रहा है। वादीगण नं0 2 ता 5 के पिता राम दयाल पुत्र फकीरा की मृत्यु हो जाने के कारण हम वादीगण नं0 2 ता 5 अपने पिता रामदयाल के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से हमारे पिता स्व0 रामदयाल का हिस्सा 1/4 हम वादी नं0 2 ता 5 मे निहित हो चुका है इस प्रकार हम वादी नं0 2 ता 5 हिस्से 1/4 को अन्य वादी नं0 1 व 6,7 के साथ खातेदार काश्तकार काबिज है। और अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे काश्त में है और सहखातेदार है। वादी नं0 2 ता 5 इस दावे में विवादित भूमि खसरा नं0 6917 व 6943 वाके कस्बा करौली में अपने 1/4 हिस्सा खातेदारी होने की घोषणा कराने के अधिकारी है। जमाबंदी भूप्रबन्ध संवत् 2015 एवम जमाबंदी संवत् 2064 लगायत 2067 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है। खसरा नं0 6917 के अलावा हाल खसरा नं0 6943 रकवा 2 वीघा 8 विस्वा वाके कस्बा करौली जिसका साविक नं0 5307 था भी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त का रहा हैं। जिसमें भी वादीया नं0 1 हिस्सा 1/4, वादी नं0 2 ता 5 के पिता रामदयाल पुत्र फकीरा हिस्सा 1/4 व वादी नं0 6 व 7 भी क्रमशः 1/4, 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार व संयुक्त कब्जेदार रहे हैं। और वादी नं0 2 ता 5 के पिता रामदयाल की मृत्यु हो जाने के कारण इस खसरा नं0 6943 में भी रामदयाल के 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार हम वादी नं0 2 ता 5 में उत्तराधिकार अधिनियत के अन्तर्गत निहत हो चुके हैं। इस प्रकार वादी नं0 2 ता 5 खसरा नं0 6943 के हिस्से 1/4 के संयुक्त खातेदार वादीया नं0 1 व वादी नं0 6, 7 के साथ काबिज रहते आए हें। वादीगण नें सहूलियत काश्त के लिए खसरा नं0 6943, रकवा 2 वीघा 8 विस्वा के मौके पर 4 बराबर हिस्से कर लिए दक्षिणी चौथा हिस्सा को वादीया नं0 1 काश्त करने लग गयी इससे लगे हुए और इनके उत्तरी को बराबर बराबर हिस्सों को वादी नं0 6 व 7 अलग में खसरा नं0 6923 खेत प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 से लगा हुआ है को नक्शा को जो वादी नं0 2 ता 5 का हैं को दिखाया है बाकी उततरी हिस्से वादी बनाकर विक्रय कर दिया हैं इस कारण मौजूदा जमाबंदी अनुसार खसरा नं0 6943 के रकवे 2 वीघा 8 विस्वा के खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

इन्द्राज जिस प्रकार दशाये रामदयाल का हिस्सा 1815/7260 वादी नं0 2 ता 5 के स्वर्गीय पिता रामदयाल का हिस्सा 1815/7260 जो कमशः हिस्सा 1/4, 1/4 होता हैं प्रतिवादी नं0 4 का हिस्सा 225/7260, प्रतिवादी नं0 5 का हिस्सा 224/7260, प्रतिवादी नं0 6 का हिस्सा 2312/7260 खातेदारी हैं बाकी हिस्सा 2910/7260 की 90 बी राज. भू राजस्व अधि0 के अधीन कार्यवाही होकर हिस्से के क्षेत्राधिकार प्रति 7 नगरपालिका में निहित हो चुके हैं। खसरा नं0 6917 का रकवा 9 विस्वा विवादग्रस्त है एवम वादपत्र नं0 2 में दर्ज खसरा नं0 6943 का दक्षिणी हिस्सा 1815/7260 यानि 1/4 हिस्सा जो खसरा नं0 6923 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे हैं। विवादग्रस्त है। खसरा नं0 6943 का विवादग्रस्त हिस्सा 815/7260 जो वादीया नं0 1 के जेर काश्त है व कब्जे में है और विवादग्रस्त हैं को जो नक्शे वादपत्र मे लाल रंग से दर्शाया है। खसरा नं0 68174 एवम 6843 नगर पालिका करौली के क्षेत्र में पडते है जिनमें खसरा न0 6943 करौली से गंगापुर जाने वाली सडके के सहारे लगा हुआ है कृषि भूमि के आवासीय प्लाट काट काटकर बेचे जा रहे हैं और प्रति वीघा भूमि की कीमत 40 लाख रूप्ये तक जा पहुची है इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के दिलो में बदनीयति आइ हुई हैं। खसरा नं 6943 जो वादीगण का हैं उसके दक्षिण में लगा हुआ खेत खसरा नं0 6923 प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने खरीदकर लिया है इस कारण उनकी नीयत विवादग्रस्त खेत खसरा नं0 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर दाखिल हो गए और ख.न. 6923 व 6943 की दरम्यानी मेड पर पुरानी हदबन्दी के गाढे पत्थरों को उखाड उखाडकर द्वारा पटक दिया और मना करने पर झगडे को उतारू हो गए और ऐलानिया धमकी दी है कि वह खसरा नं0 6943 के वरंगलाल हिस्से से वादीया नं0 1 को जबरन बेदखल करेंगे वादीया नं0 1 को काश्त नही करने देगे और ऐलानिया यह भी धमक दी है कि वह खसरा नं0 6917 पर भी अनाधिकार कब्जा करेगें और वादीगण को बेदखल करेगें। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का इरादा दुर्भावनापूर्ण वादीगण को अपने उक्त भूमियों के कब्जे काश्त में रूकावट डालने का बना हुआ है। और जबरन बेदखल करने व कब्जा करने पर आमादा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

है। इस कारण वादीगण को प्रति0 नं0 1 ता 3 के विरूद्ध यह दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दायर करना आवश्यक हुआ है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि प्रति.न01 ता 3 खसरा नं0 6917 के संपूर्ण रकबे अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करे कब्जा काश्त में बाधार नही डाले इसी प्रकार ख.न. 6943 का हिस्सा जिसे नक्शे वादपत्र में वरंगलाल से दिखाया है के बाबत् भी वादीया नं0 1 व अन्य वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वह खसरा नं0 6943 के हिस्से 1815/7260 जिसे नक्शा संलग्न वादपत्र में लाल से दिखाया है, से वादीगण को बेदखल ना करे कब्जे काश्त में कोई रूकावट नही डाले व जबरन कब्जा नही करें। खसरा नं0 6917 व 6943 में अपने मृतक पिता रामदयाल पुत्र फकीरा के हिस्से खातेदारी 1/4 के बाबत् यह घोषणा कराने के अधिकारी हैं कि पिता रामदयाल की मृत्यु होने के उपरान्त वादी नं0 2 ता 5 रामदयाल के उततराधिकारी होने से उनका हिस्सा 1/4 वादी नं0 2 ता 5 में निहित हो चुका हैं और वादी 2 ता 5 अन्य वादीगण के साथ हिस्सा 1/4 के खातेदार बन चुके हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण वावत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दि. 13.4.12 को प्रति. नं0 1 ता 3 के द्वारा ख.न. 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर खसरा नं0 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर खसरा नं0 6943 व 6923 की दरम्यानी मेड पर हदबंदी के गढे हुए पत्थरों को जबरन उखाड कर फेकने के सबब और जबरन बेदखली व कब्जा करने की धमकी देने के सबब श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में वादकारण दि. 13.4.12 को उत्पन्न हुआ हैं। पक्षकारान में कोई अल्प व्यस्क या पागल नही है। प्रतिवादी नं0 4 ता 7 ख.न. 6943 के सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार होने से तरतीवी प्रतिवादी बनवाये हैं। प्रति0 नं0 8 लैण्ड होल्डर होने से तरतीवी पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादी नं0 4 ता 8 के विरूद्ध वादीगण इस दावे में कोई दादरसी नही चाहते हैं। विवादित भूमि ख.न. 6917 व 6943 वाके कस्बा करौली में वादी नं0 2 ता 5 के मृतक पिता श्रीरामदयाल पुत्र फकीरा की मृत्यु पर उनके 12/4

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हिस्सा के खातेदारी अधिकार वादी नं0 2 ता 5 में बतौर उत्तराधिकारी निहत होने से वादी नं0 2 ता 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह ख.न. 6917 के रकबे 9 विस्वा में से अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को बेदखल ना करे व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा ना डाले नाही किसी अन्य से बेदखल करावे नाही कब्जे काश्त में किसी अन्य से व्यवधान डलवायें। जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह ख.न. 6943 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा वाके करबा करौली के दक्षिणी हिस्सा 1815/7260 हिस्से से जिसे नजरी नक्शा वादपत्र में वरंगलाल से दिखाया है से वादीया नं0 1 विकल्प में वादी नं0 1 ता 7 को जबरन बेदखल ना करे कब्जे काश्त वादी नं0 1 अथवा वादीगण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करे ना करावे। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 5, 6, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 5, 6, 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर इनका जबाव बंद किया गया तथा प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि खसरा नं0 6923 प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना स्वीकार है। इससे सटी आराजी 6923/9804 भी सटी होना स्वीकार है। दकीया तथ्यों से लाइल्मी है। खसरा नं0 6923 व 6943 के मध्य पुरानी मेए पर पुराने हदूवंदी के गढे पत्थरों को निकालकर फेंकने का तथ्य गलत अंकित किये है। वकीया इवारत से लाइल्मी है तथा खसरा नं0 6917 पर प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकार कब्जा करने की दुर्भावना गलत दर्ज की है। सही बात यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का दावा चलने योग्य नही है। सही बात यह है कि वादी का आराजी खसरा नं0 6917 की आड में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की जमीन को

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हडपना चाहते है जिसका उनको कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। खसरा नं0 6943 व 6923 की दरमियानी मेड पर हदबन्दी की गढे हुए पत्थरों को उखाड कर फेंकने का तथ्य गलत दर्ज किया है। वादीगण को दिनांक 13.04.2012 को कोई वाद कारण उत्पनन नही हुआ है। खसरा नं0 6923/9804 व 6923 प्रार्थी प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी दावा उनमानी अंगूरी बनाम दीनदयाल दावा नम्बरी 11/12 न्यायालय ए0डी0जे0 (एफ0टी0) करौली में स्वीकृत तथ्य है। और प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की जमीन को हडपने की नीयत से इस न्यायालय में गलत दावा पेश किया हैं। सही बात यह है कि खसरा नं0 6923/9804 व 6923 की प्रतिवादीगण की जमीन खातेदारी का भाग व दिशा उत्तरा व दक्षिण वादीगण ने दबा रखा है, जिसको प्रतिवादीगण वादीगण से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में दावा वादी खारिज एवं काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जबाव पेश कर कथन किया है कि वादीगण के दावे के पैरा नं0 1 लगायत में दर्ज अभिवचनों को विशिष्ठ रूप में इंकार नही यिका है इसके बाबत् लाइल्मी की है इस कारण आदेश 6 नियम 5 सी0पी0सी0 में स्पेशिफाइड डीनायल नही करने के कारण यह अभिवचन इन प्रतिवादीगण वादपत्र के पैरा न0 1 ता 3 के स्वीकृत तथ्य माने जाने योग्य है। वादीगण को अस्वीकार है। वादीगण ने ख0न0 6923 व 6943 के मध्य पुरानी मेड के पत्थरों को के तथ्य अपने दावे में गलत दर्ज न सही दर्ज किये हे। हमारी प्रतिवादीगण के खातेदारी की किसी जमीन को दबाने के की कभी नही रही। जबकि काउन्टर क्लेम कर्ता व वादीगण के खातेदारी ख0न0 6943 के दक्षिणी हिस्सा जिसे नक्शा संलग्न वादीगण में वारंगलाल रेखाओं से दिखाया पर जबरन ट्रेसपास करने व कब्जा काश्त वादी सं0 1/1 डालतक है व चाहिये मेरी गोदमाता अंगूरी देवी के कब्जे काश्त में बाधा डालते रहे है। इसी पवन वादीगण ने इनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। वादीगण में अथवा वादी सं0 1 ने इसी कोई जमीन ख0न0 6923/9804 व 6923 की कभी कोई जमीन

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

ही नहीं दवाई है। बल्कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्तागण अपने खात की खसरा नंबर 6923 के पूरे एवं में आवासीय भूखण्ड बनाकर एग्रीमेंट अपंजीकृत कर करके लोगों के बंद कर लाखों रूपये एकत्रित कर चुके है और उन्हें भूखण्डों पर कब्जा भी दे चुके है। अगर वादीगण ने कोई जमीन दवाई होती तो प्रतिवादीगण ने विधि अनुसार सीमा बंदी क्यों नही कराई। सीमाबंदी इसलिये नहीं कराई की कोई जमीन किसी ने नहीं दवाई। जबकि वादीगण को जमीन को दवाव डालकर लेना चाहते है। इस कारण प्रतिवादीगण हमारे विरूद्व कोई बिना नपती कराऐ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अंत काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे एवं दावा वादी खारिज किया जावे।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया वादग्रस्त आरजी ख0न0 6917 रकवा 9 विस्वा जिसका साविक ख0न0 5281 है। कस्बा करौली तह0 में स्थित है। एवं ख0न0 6943 रकवा 2 वीघा 8 विस्वा ग्राम कस्बा करोली जिसका साविक ख0न0 5307 है के वादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा हैं। वादी नं0 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा है वादी न0 6 व 7 का क्रमश 1/4–1/4 हिस्सा है। जो वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी नं0 2 ता 5 अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजीयात के वादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी ख.0न0 6923/9804 व 6923 के खातेदारी व कब्जे काश्त की हे। प्रतिवादीगण जरिये काउन्टर क्लेम उक्त भाग व दिया उत्तर व दक्षिण में वादीगण को बेदखल करवाकर कब्जा जरिये काउन्टर प्राप्त करने के अधिकारी है।

–प्रतिवादीगण

4. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में तेजप्रकाश पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1,

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

भू–प्रबंध सेटलमेंट संवत 2015 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 व 3, खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 की नकल प्रदर्श–4, नक्शा प्रदर्श–5, वयनामा प्रदर्श–6, 7 व 8, डिक्री प्रदर्श–9, निर्णय प्रदर्श–10 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारिका प्रसाद डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं अन्य कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि कृषि हाल खसरा नं0 6917 वाके कस्बा करौली तहसील व जिला करौली रकवा 9 विस्वा बारानी–1 जो साविक खसरा नं 5291 के रकवे में से बना है, वादीगण के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त का है जिसमे वादीया नं0 1 हिस्सा 1/4, वादी नं0 2 ता 5 के पिता स्वर्गीय रामदयाल हिस्सा 1/4 एवम वादी नं0 6 हिस्सा 1/4 व वादी नं0 7 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार रहे हैं। और इसी संयुक्त हिस्से अनुसार इनका संयुक्त कब्जा रहता चला आ रहा है। वादीगण नं0 2 ता 5 के पिता राम दयाल पुत्र फकीरा की मृत्यु हो जाने के कारण हम वादीगण नं0 2 ता 5 अपने पिता रामदयाल के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से हमारे पिता स्व0 रामदयाल का हिस्सा 1/4 हम वादी नं0 2 ता 5 मे निहित हो चुका हैं इस प्रकार हम वादी नं0 2 ता 5 हिस्से 1/4 को अन्य वादी नं0 1 व 6,7 के साथ खातेदार काश्तकार काबिज है। और अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे काश्त में है और सहखातेदार है। वादी नं0 2 ता 5 इस दावे में विवादित भूमि खसरा नं0 6917 व 6943 वाके कस्बा करौली में अपने 1/4 हिस्सा खातेदारी होने की घोषणा कराने के अधिकारी है। जमाबंदी भूप्रबन्ध संवत् 2015 एवम जमाबंदी संवत् 2064 लगायत 2067 की प्रमाणित प्रति दावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है। खसरा नं0 6917 के अलावा हाल खसरा नं0 6943 रकवा 2 वीघा 8 विस्वा वाके कस्बा करौली जिसका साविक नं0 5307 था भी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त का रहा हैं। जिसमें भी वादीया नं0 1 हिस्सा 1/4, वादी नं0 2 ता 5 के पिता रामदयाल पुत्र फकीरा हिस्सा 1/4 व वादी नं0 6 व 7 भी क्रमशः 1/4, 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार व संयुक्त कब्जेदार रहे हैं। और वादी नं0 2 ता 5 के पिता रामदयाल की मृत्यु हो जाने के कारण इस खसरा नं0 6943 में भी रामदयाल के 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार हम वादी नं0 2 ता 5 में उत्तराधिकार अधिनियत के अन्तर्गत निहत हो चुके हैं। इस प्रकार वादी नं0 2 ता 5 खसरा नं0 6943 के हिस्से 1/4 के संयुक्त खातेदार वादीया नं0 1 व वादी नं0 6, 7 के साथ काबिज रहते आए हें। वादीगण नें सहूलियत काश्त के लिए खसरा नं0 6943, रकवा 2 वीघा 8 विस्वा के मौके पर 4 बराबर हिस्से कर लिए दक्षिणी चौथा हिस्सा को वादीया नं0 1 काश्त करने लग गयी इससे लगे हुए और इनके उत्तरी को बराबर बराबर हिस्सों को वादी नं0 6 व 7 अलग में खसरा नं0 6923 खेत प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 से लगा हुआ है को नक्शा को जो वादी नं0 2 ता 5 का हैं को दिखाया है बाकी उततरी हिस्से वादी बनाकर विक्रय कर दिया हैं इस कारण मौजूदा जमाबंदी अनुसार खसरा नं0 6943 के रकवे 2 वीघा 8 विस्वा के खातेदारी इन्द्राज जिस प्रकार दशाये रामदयाल का हिस्सा 1815/7260 वादी नं0 2 ता 5 के स्वर्गीय पिता रामदयाल का हिस्सा 1815/7260 जो क्रमशः हिस्सा 1/4, 1/4 होता हैं प्रतिवादी नं0 4 का हिस्सा 225/7260, प्रतिवादी नं0 5 का हिस्सा 224/7260, प्रतिवादी नं0 6 का हिस्सा 2312/7260 खातेदारी हैं बाकी हिस्सा 2910/7260 की 90 बी राज. भू राजस्व अधि0 के अधीन कार्यवाही होकर हिस्से के क्षेत्राधिकार प्रति 7 नगरपालिका में निहित हो चुके हैं। खसरा नं0 6917 का रकवा 9 विस्वा विवादग्रस्त हैं एवम वादपत्र नं0 2 में दर्ज खसरा नं0 6943 का दक्षिणी हिस्सा 1815/7260 यानि 1/4 हिस्सा जो खसरा नं0 6923 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे हैं। विवादग्रस्त है। खसरा नं0 6943 का विवादग्रस्त हिस्सा 815/7260 जो वादीया नं0 1 के जेर काश्त है व कब्जे में है और विवादग्रस्त हैं को जो नक्शे वादपत्र मे लाल रंग से दर्शाया है। खसरा नं0 68174 एवम 6843 नगर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

पालिका करौली के क्षेत्र में पड़ते है जिनमें खसरा नं0 6943 करौली से गंगापुर जाने वाली सड़के के सहारे लगा हुआ है कृषि भूमि के आवासीय प्लाट काट काटकर बेचे जा रहे हैं और प्रति बीघा भूमि की कीमत 40 लाख रूप्ये तक जा पहुची है इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के दिलो में बदनीयति आइ हुई हैं। खसरा नं 6943 जो वादीगण का हैं उसके दक्षिण में लगा हुआ खेत खसरा नं0 6923 प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने खरीदकर लिया है इस कारण उनकी नीयत विवादग्रस्त खेत खसरा नं0 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर दाखिल हो गए और ख.न. 6923 व 6943 की दरम्यानी मेड पर पुरानी हदबन्दी के गाढे पत्थरों को उखाड उखाडकर द्वारा पटक दिया और मना करने पर झगडे को उतारू हो गए और ऐलानिया धमकी दी है कि वह खसरा नं0 6943 के वरंगलाल हिस्से से वादीया नं0 1 को जबरन बेदखल करेंगे वादीया नं0 1 को काश्त नही करने देगे और ऐलानिया यह भी धमक दी है कि वह खसरा नं0 6917 पर भी अनाधिकार कब्जा करेगें और वादीगण को बेदखल करेगें। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का इरादा दुर्भावनापूर्ण वादीगण को अपने उक्त भूमियों के कब्जे काश्त में रूकावट डालने का बना हुआ है। और जबरन बेदखल करने व कब्जा करने पर आमादा हैं। इस कारण वादीगण को प्रति0 नं0 1 ता 3 के विरूद यह दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दायर करना आवश्यक हुआ हैं। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि प्रति.न01 ता 3 खसरा नं0 6917 के संपूर्ण रकवे अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करे कब्जा काश्त में बाधार नही डाले इसी प्रकार ख.न. 6943 का हिस्सा जिसे नक्शे वादपत्र में वरंगलाल से दिखाया है के बाबत् भी वादीया नं0 1 व अन्य वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वह खसरा नं0 6943 के हिस्से 1815/7260 जिसे नक्शा संलग्न वादपत्र में लाल से दिखाया है, से वादीगण को बेदखल ना करे कब्जे काश्त में कोई रूकावट नही डाले व जबरन कब्जा नही करें। खसरा नं0 6917 व 6943 में अपने मृतक पिता रामदयाल पुत्र फकीरा के हिस्से खातेदारी 1/4 के बाबत् यह

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

घोषणा कराने के अधिकारी हैं कि पिता रामदयाल की मत्यु होने के उपरान्त वादी नं0 2 ता 5 रामदयाल के उत्तराधिकारी होने से उनका हिस्सा 1/4 वादी नं0 2 ता 5 में निहित हो चुका हैं और वादी 2 ता 5 अन्य वादीगण के साथ हिस्सा 1/4 के खातेदार बन चुके हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण वावत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दि. 13.4.12 को प्रति. नं0 1 ता 3 के द्वारा ख.न. 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर खसरा नं0 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर खसरा नं0 6943 व 6923 की दरम्यानी मेड पर हदबंदी के गढे हुए पत्थरों को जबरन उखाड कर फेकने के सबब और जबरन बेदखली व कब्जा करने की धमकी देने के सबब श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में वादकारण दि. 13.4. 12 को उत्पन्न हुआ हैं। पक्षकारान में कोई अल्प व्यस्क या पागल नही है। प्रतिवादी नं0 4 ता 7 ख.न. 6943 के सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार होने से तरतीवी प्रतिवादी बनवाये हैं। प्रति0 नं0 8 लैण्ड होल्डर होने से तरतीवी पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादी नं0 4 ता 8 के विरूद्ध वादीगण इस दावे में कोई दादरसी नही चाहते हैं। विवादित भूमि ख.न. 6917 व 6943 वाके कस्बा करौली में वादी नं0 2 ता 5 के मृतक पिता श्रीरामदयाल पुत्र फकीरा की मत्यु पर उनके 12/4 हिस्सा के खातेदारी अधिकार वादी नं0 2 ता 5 में बतौर उत्तराधिकारी निहत होने से वादी नं0 2 ता 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह ख.न. 6917 के रकवे 9 विस्वा में से अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को बेदखल ना करे व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधार ना डाले नाही किसी अन्य से बेदखल करावे नाही कब्जे काश्त में किसी अन्य से व्यवधान डलवायें। जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह ख.न. 6943 रकवा 2 वीघा 8 विस्वा वाके कस्बा करौली के दक्षिणी हिस्सा 1815/7260 हिस्से से जिसे नजरी नक्शा वादपत्र में बरंगलाल से दिखाया है से वादीया नं0 1 विकल्प में वादी नं0 1 ता 7 को जबरन बेदखल ना करे कब्जे काश्त वादी नं0 1 अथवा वादीगण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करे ना करावे। अंत में दावा डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि खसरा नं0 6923 प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना स्वीकार है। इसमें सही आराजी 6923/9804 भी सही होना स्वीकार है। वकीया कथनों से लाइल्मी है। खसरा नं0 6923 व 6943 के मध्य पुरानी मेड़ पर पुराने हदूबंदी के गढे पत्थरों को निकालकर फैंकने का तथ्य गलत अंकित किये है। वकीया इबारत से लाइल्मी है तथा खसरा नं0 6917 पर प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकार कब्जा करने की दुर्भावना गलत दर्ज की है। सही बात यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का दावा चलने योग्य नही है। सही बात यह है कि वादी का आराजी खसरा नं0 6917 की आड में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की जमीन को हडपना चाहते है जिसका उनको कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। खसरा नं0 6943 व 6923 की दरमियानी मेड पर हदबन्दी की गढे हुए पत्थरों को उखाड कर फेंकने का तथ्य गलत दर्ज किया है। वादीगण को दिनांक 13.04. 2012 को कोई वाद कारण उत्पनन नही हुआ है। खसरा नं0 6923/9804 व 6923 प्रार्थी प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी दावा उनमानी अंगूरी बनाम दीनदयाल दावा नम्बरी 11/12 न्यायालय ए0डी0जे0 (एफ0टी0) करौली में स्वीकृत तथ्य है। और प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की जमीन को हडपने की नीयत से इस न्यायालय में गलत दावा पेश किया हैं। सही बात यह है कि खसरा नं0 6923/9804 व 6923 की प्रतिवादीगण की जमीन खातेदारी का भाग व दिशा उत्तरा व दक्षिण वादीगण ने दबा रखा है, जिसको प्रतिवादीगण वादीगण से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में दावा वादी खारिज व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:—

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2064–67 प्रस्तुत की है। जिसमें वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में अंकित है और वादी तेजप्रकाश पीडब्ल्यू–1 ने भूमि वादग्रस्त पर अपना कब्जा होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 द्वारिका प्रसाद ने अपने चीफ बयान में खसरा नंबर 6917 व 6943 में कोई निर्माण नहीं करना स्वीकार किया है। खसरा नंबर 6943 प्रतिवादीगण की खातेदारी की नहीं होना प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण ने अपना हिस्सा बताया जिसमें वादी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा, वादी नंबर 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा वादी नंबर 6 व 7 का समान हिस्सा 1/4–1/4 हिस्सा होना बताया है जो प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 6917 व 6943 के संबंध में अपने हक में होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 एवं भू–प्रबंध सेंटलमेंट जमाबंदी संवत 2015 प्रस्तुत की है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2013 प्रस्तुत की है। जिनसे भूमि वादीगण की खातेदारी की होना साबित है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 6923/9804 व 6923 का कोई राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है और प्रतिवादीगण ने भूमि अपनी खातेदारी की हो सिद्व नहीं किया है। केवल प्रतिवादी द्वारिका प्रसाद डीडब्ल्यू–1 ने अपने बयान में भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी की होना बताया है। प्रतिवादीगण इस

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवाद्यक को साबित करने में असफल रहे है। अत विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 6917 व 6943 वादीगण की खातेदारी व कब्जे की होना एवं मृतक रामदयाल के वारिसान वादी नंबर 2 ता 5 होना एवं उनका भूमि में 1/4 हिस्सा होना एवं भूमि पर वादीगण का कब्जा होना प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2064–67 एवं नकल भू–प्रबंध संवत 2015 प्रदर्श 2 व 3 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–4, नक्शा सीट प्रदर्श–5 से साबित होती है। प्रतिवादीगण ने इन आराजीयात के संबंध में एवं खसरा नंबर 6923/9804 एवं 6923 का कोई राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपने खातेदारी होने की प्रस्तुत नहीं की है। इन समस्त तथ्यों से वादग्रस्त आरांजीयात खसरा नंबर 6917 व 6943 वादीगण की खातेदारी की होना व वादीगण का कब्जा होना प्रकट होता है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी नंबर 2 व 5 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 6917 रकबा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6943 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली का मृतक रामदयाल पुत्र फकीरा के स्थान पर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह खसरा नंबर 6917 रकबा 9 बिस्वा से अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करें एवं वादीगण के कब्जा काश्त बाधा नहीं डालने ना ही किसी अन्य से डलवाये एवं खसरा नंबर 6943 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कस्बा करौली के दक्षिणी हिस्सा 1815/7260 हिस्से नजरी नक्शा वादपत्र बरंगलाल से दिखाया है से वादी नंबर 1 ता 7 को जबरन बेदखल नहीं करे एवं वादीगण को किसी प्रकार की कोई बाधा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उत्पन्न नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावे। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)